2009:सीजीएचसी:10503-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

समक्ष न्यायाधीशगण : माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

दांडिक अपील क्रमांक : 857/2003

शिओ कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही /-

मुख्य न्यायाधीश

आदेश हेतु दिनांक : 24.04.2009

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

2009:सीजीएचसी:10503-डीबी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

समक्ष न्यायाधीश : माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

दांडिक अपील क्रमांक : 857/2003

अपीलार्थी : शिओ कुमार उर्फ पिता सुखदेवराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय राज मिस्त्री, निवासी अकलवारा, पुलिस थाना - गुरूर, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य (पुलिस थाना- गुरूर की ओर से)

2009:सीजीएचसी:10503-डीबी

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता।

उपस्थिति:

श्री राम कृष्ण शर्मा, अपीलार्थी की आओर से अधिवक्ता।

श्री अखिल अग्रवाल, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 24.04.2009)

निम्न निर्णय **न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा दिया गया था।

(1) वर्तमान याचिका में दिनांक 9.4.2003 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 394/2001 में पारित निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें अपीलार्थी को निम्न प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट करते हुए दंडादेशों को साथ-साथ चलने का अतिरिक्त निर्देश दिया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	दंडादेश

अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि.	आजीवन कारावास एवं जुर्माना रु.1000/-, जुर्माने के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अंतर्गत धारा 376 भा.द.वि	दस वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं जुर्माना रु.1000/-, जुर्माने के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि	पाँच वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं जुर्माना रु.1000/-, जुर्माने के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अंतर्गत धारा 201 भा.द.वि	पाँच वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं जुर्माना रु.1000/-, जुर्माने के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) तथ्यों को, संक्षेप में, निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

23.7.2001 को, मुसनु राम ढीमर (अ.सा.2) ने, लगभग 12 साल की नाबालिग लड़की का शव, उसके खेत के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा। उसने नीली स्कर्ट और सफेद शर्ट (विद्यालय गणवेश) पहनी हुई थी। शव की पहचान नहीं हो सकी। नागकेसर (अ.सा.1), बलिराम, गाँव कोटवार (अ.सा.3) और मुसनु राम (अ.सा.2) पुलिस चौकी गए और मुसनु राम (अ.सा.2) द्वारा एक 'मर्ग' सूचना (प्रदर्श पी 3) दर्ज की गई। 'देहाती नालिशी' को प्रदर्श पी 24 के तहत दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी 1) दिया और मृतका के शव पर 'मृत्यु समीक्षा' (प्रदर्श पी 2) तैयार किया। मृतका का शव परीक्षण के लिए पी.एच.सी. पलारी भेजा गया, जहां डॉ. आर.के. नायक (अ.सा.16) सहित 2 डॉक्टरों की एक टीम द्वारा शव परीक्षण किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 तैयार की। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, गर्दन के चारों ओर एक फंदा पाया गया और थायरॉयड/गलग्रंथि के नीचे एक फंदा का निशान था। योनि और 'हाइमन/योनिच्छद' से खून निकाल रहा था, जो हाल ही में फटा था। शव परीक्षा शल्य चिकित्सकों ने राय दी कि मौत का कारण श्वासरोध (असफिक्सया) था, जिसके परिणामस्वरूप गला घोंटने से श्वसन रुक गया और यह मानव वध प्रकृति की थी। चूँकि शव की पहचान कोई नहीं कर सका, इसलिए उसे पुलिस द्वारा दफना दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वास्तव में, यह 12 वर्षीय चैनबाती का शव था, जो कि शुकलडीह गाँव की निवासी थी और गाँव से लापता थी। उसके पिता जमरुराम (अ.सा.14) और उसके अन्य परिवार के सदस्य लड़की की तलाश कर रहे थे लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाए। किसी तरह, उन्होंने पुलिस द्वारा एक शव बरामद किए जाने के बारे में सुना, जो कि देवकोट नामक एक नजदीकी गाँव में था। वे गुरुड़ पुलिस स्टेशन

गए और पुलिस द्वारा बरामद की गई अज्ञात लड़की की तस्वीर देखी। यह पहचान की गई कि वह तस्वीर जमरुराम (अ.सा.14) की बेटी चैनबाती की थी। शरीर को कब्र से निकाला गया। पिता ने पहचान की कि वह उनकी बेटी चैनबाती का शव है। इस आशय के लिए एक और पूछताछ (प्रदर्श पी 5) तैयार की गई और मृत शरीर परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।

जांच के दौरान, अपीलार्थी को प्रदर्श पी 28 के तहत गिरफ्तार किया गया और 26.7.2001 को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया। डॉ. आर.के. नायक (अ.सा.16) ने अपीलार्थी की जांच की और उसके शरीर पर कुछ खरोंच के निशान पाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 दी। जांच के दौरान, अपीलार्थी और मृतक के कपड़ों सहित कई वस्तुएं जब्त की गईं और उन्हें रासायनिक जांच के लिए न्यायालयीन प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहां से एक रिपोर्ट (प्रदर्श पी 31) प्राप्त हुई। मृतक के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए, साथ ही उस स्लाइड और पीपल के पत्ते पर भी खून मिला जिसे घटना स्थल से जब्त किया गया था। अपीलार्थी के कपड़ों और अन्य वस्तुओं पर कोई खून के धब्बे या मानव शुक्राणु नहीं पाए गए। हालांकि, खून से सनी हुई वस्तुओं को उनकी उत्पत्ति और समूह के बारे में आगे की जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) नियमित विवेचना पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बालोद की न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने बदले में इस मामले को संबंधित सत्र न्यायालय को समर्पित किया, जहां से यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद को स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने मुकदमे का विचारण किया और उपरोक्त आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया एवं दंडादिष्ट किया गया।

(4) अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि, सबसे पहले, मृतिका का अपहरण अपीलार्थी द्वारा गांव शुक्लाडीह से किया गया था, जो उसे अपनी साइकिल पर गांव देवकोट ले गया, जहां मुसनु (अ.सा.2) के पंप हाउस में अपीलार्थी द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके बाद अपीलार्थी ने उसकी हत्या कर दी और साक्ष्यों का विलोपित करने के लिए मृत शरीर को उक्त पंप हाउस के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया।

(5) इस मामले में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सबूतों पर आधारित है, जिसके लिए अभियोजन पक्ष ने 3 गवाहों का परीक्षण कराया है, जिनके नाम हैं-कार्तिक राम (अ.सा.6), केशव राम (अ.सा.19) और तखत राम (अ.सा. 20) ।

(6) अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री राम कृष्ण शर्मा ने मृतक के मानव वध पर कोई विवाद नहीं किया है। उन्होंने इस बात पर भी कोई विवाद नहीं किया है कि मृतक के साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे। इसके अलावा, डॉ. आर.के. नायक (अ.सा.16) के साक्ष्य में यह प्रकट होता है कि मृतक की मृत्यु मानव वध के फलस्वरूप से हुई और मृत्यु का कारण श्वासरोध था, जिसके परिणामस्वरूप श्वसन तंत्र रुक गया था। उन्होंने यह भी पाया कि योनि में चोटें थीं और हाइमन/ योनिच्छद हाल ही में फटा हुआ था। इसलिए, यह स्थापित हो गया था कि मृतक की मृत्यु मानव हत्या की प्रकृति की थी और उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) श्री शर्मा ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह दर्शित हो सके कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम बार एक साथ देखे जाने के

सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अभियोजन द्वारा परीक्षित उपरोक्त 3 गवाहों ने यह नहीं कहा है कि यह मृतक थी, जो अपीलार्थी के साथ थी, क्योंकि उन्होंने केवल यह न्यायकालिक बयान दिया कि उन्होंने अपीलार्थी को अपनी साइकिल पर एक स्कूल जाने वाली लड़की को स्कूल की गणवेश में ले जाते हुए देखा था।

(8) दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अखिल अग्रवाल ने इन तर्कों का विरोध किया और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश का समर्थन किया।

(9) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

(10) **<u>धनंजय चटर्जी - बनाम - पश्चिम बंगाल राज्य, (1994) 2 SCC 22 के</u>** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे न केवल पूरी तरह से स्थापित हों बल्कि यह भी होना चाहिए कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की हों और केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हों। वह परिस्थितियाँ आरोपी के अपराध के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना द्वारा स्पष्ट किए जा सकने योग्य नहीं होनी चाहिए। और सबूतों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी निष्कर्ष के लिए कोई भी उचित आधार न बचे। यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कानूनी रूप से स्थापित परिस्थितियाँ और न कि केवल न्यायालय का रोष, दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं और जितना अधिक गंभीर अपराध होता है, सबूतों की जांच करने में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि संदेह प्रमाण का स्थान ग्रहण कर लें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इसके अलावा, **<u>बोध राज उर्फ बोधा और अन्य - बनाम - जम्मू और कश्मीर राज्य,</u>** **<u>AIR 2002 SC 3164</u>** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन दोषसिद्धि से पहले की शर्तों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:

1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियां 'अवश्य' स्थापित होनी चाहिए या स्थापित होनी चाहिए और न कि 'हो सकती हैं' स्थापित होनी चाहिए;

2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें आरोपी के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक संभावित परिकल्पना को उपवर्जित करना चाहिए, और

5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि यह निष्कर्ष निकालने या अभियुक्त की निदोर्षिता को इंगित करने के लिए कोइ उचित आधार ना छोड़े और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभावनाओ में यह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया है।

(12) जैसा कि स्वीकार किया गया है, इस मामले में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं और अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' की परिस्थिति पर आधारित है, जिसे सत्र न्यायालय ने उपरोक्त 3 गवाहों, अर्थात् कार्तिक राम

(अ.सा.6), केशव राम (अ.सा.19) और तखत राम (अ.सा.20) के साक्ष्य के आधार पर सिद्ध पाया है।

(13) अ.सा.6, कार्तिक राम ने बयान दिया कि अपीलार्थी शिओ कुमार को वह जानता था। रविवार को, शेओ कुमार अपनी साइकिल पर एकलड़की को ले जा रहा था। लड़की ने सफेद शर्ट और नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। दो दिनों के बाद, उसने सुना कि शुकलडीह गाँव की एक लड़की लापता है और उसने आगे सुनाकि देवकोट गाँव में एक लड़की का मृत शरीर मिला है। उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने मृत शरीर को नहीं देखा था।

(14) अ.सा.19, केशव राम ने बयान दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह कार्तिक राम (अ.सा.6) के साथ जा रहा था। उन्होंने देखा कि शेओ कुमार अपनी साइकिल पर एक लड़की को ले जा रहा था। उसने बहुत स्पष्ट रूप से यह भी बताया है कि वह यह नहीं जानता था कि वह लड़की कौन थी। हालांकि, लड़की ने स्कूल की गणवेश पहनी हुई थी, उसकी उम्र लगभग 8-10 वर्ष थी और वह साइकिल के कैरियर पर बैठी हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) अ.सा.20, तखत राम ने बयान दिया कि शेओ कुमार उसे एक चावल मिल के पास मिला था। वह एक साइकिल पर था। एक लड़की भी साइकिल के कैरियर पर बैठी हुई थी। उसने एक कुर्ता पहना हुआ था। इस गवाह ने अदालत में भी अपीलार्थी की पहचान करते हुए कहा कि वह वही व्यक्ति था जो लड़की को ले जा रहा था।

(16) अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किए गए उपरोक्त 3 गवाहों के बयानों के बारे में जो उल्लेख किया गया है, वह इस संबंध में एकमात्र साक्ष्य है। उचित मूल्यांकन पर, हम पाते हैं कि हालांकि इन गवाहों ने अपीलार्थी शिओ कुमार की पहचान के बारे में बयान

दिया है, लेकिन उन्होंने कभी यह बयान नहीं दिया कि, वास्तव में, जिस लड़की को शिओ कुमार ले जा रहा था, वह मृतक थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य को बहुत अधिक महत्व दिया है कि इन गवाहों में से 2 ने कहा है कि अपीलार्थी जिस लड़की को ले जा रहा था उसने सफेद शर्ट और नीली स्कर्ट (स्कूल की गणवेश) पहनी हुई थी, इसलिए, अपीलार्थी के साथ वाली लड़की की पहचान मृतक के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो गई थी।

(17) 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के सिद्धांत में, पहचान का एक तत्व एक महत्वपूर्ण और मजबूत कारक है। यदि किसी भी पक्ष, यानी अपराधी या पीड़ित की पहचान, अंतिम बार साथ देखे जाने के गवाह द्वारा यह कहते हुए नहीं की जाती है कि वे एक-दूसरे के साथ थे, तो अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति विफल हो जाती है, क्योंकि उस स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित नहीं हो पाएगा कि कौन किसके साथ था। यदि 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' पर आधारित किसी मामले में, अपराधी या पीड़ित की पहचान संदिग्ध है या उचित संदेह से परे स्थापित नहीं है, तो उस परिस्थिति को सिद्ध नहीं माना जाएगा और ऐसी परिस्थिति पर आधारित दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलार्थी के साथ उसकी साइकिल पर जो लड़की थी, वह मृतक थी। इसलिए, हमारे विचार से, अपीलार्थी का अपराध सभी उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ और वह संदेह का लाभ पाने का हकदार था।

(19) तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 302, 376, 363 और 201 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश रद्द की जाती हैं। अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी 26.7.2001 से जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

2009:सीजीएचसी:10503-डीबी

सही /-

मुख्य न्यायाधिपति

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur